

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ राज.

बड़जलास - श्री सन्तोष कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 12/2022/अपील

उनवान

1. गंगाबाई पत्नि कन्हैयालाल जाति दांगी नि. अमीरपुरा सहसील पिड़ावा
— अपीलांटस

बनाम

1. जाकिर हुसैन पि. नन्नामाई जाति मुसलमान नि. भवानीमण्डी जिला झालावाड़
2. मोहम्मद हुसैन पि. जमील हुसैन जाति मुसलमान नि. भवानीमण्डी जिला झालावाड़
3. वसीम चौधरी पि. जहूर अहमद जाति मुसलमान नि. भवानीमण्डी जिला झालावाड़
4. सरपंच ग्राम पंचायत ओडियाखेडी पंचायत समिति पिड़ावा गुठसुनेल
— रैस्पोंडेन्टस

अपील बनाराजगी आदेश दिनांक 05.11.2015

नामा0सं. 529 ग्राम पंचायत ओडियाखेडी

उपस्थिति - वकील अपीलांटस - श्री सुभाष दांगी

वकील रैस्पोंडेन्टस - श्री कालूराम मेघवाल

आदेश

दिनांक : 28/09/2022



प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस ने ग्राम पंचायत ओडियाखेडी द्वारा निर्णित नामा.सं. 529 दिनांक 05.11.2015 के विरुद्ध अपील पेश कर निवेदन किया कि ग्राम राजपुरा प0म0मायाखेडी की आराजी ख.नं. 52 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा में से 1 बिस्वा भूमि रोड से लगवा 23 फीट चौड़ाई की भूमि रैस्पोंडेन्टस सं. 1 लगायत 3 से जरिये रजिस्टर्ड बयानामा खरीद कर मौके पर कब्जा प्राप्त किया है परन्तु उक्त विक्रय पत्र में तत्समय लिपिकीय त्रुटि वश ख.नं. 52 के बजाय रैस्पोंडेन्टस के खाते का दूसरा ख.नं. 51 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा अंकित हो गया जिससे अपीलांटस द्वारा खरीद की गई भूमि ख.नं. 52 के बजाय ख.नं. 51 में नामा.सं. 529 से खातेदारी दर्ज हो गई इसलिये नामा.सं. 529 गलत दर्ज होने से

निरस्त योग्य है।

COURT 2022

34

(सन्तोष कुमार मीना,
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़)



इस बात की जानकारी होने पर अपीलान्टस ने रेस्पोंडेंटस से शुद्धि पत्र ग्राम राजपुरा के ख.नं. 51 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा के स्थान पर वास्तविक रूप से बेचान किया गया ख.नं. 52 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा का पढा जाने का दिनांक 11.11.2019 को पंजीयन करवाया जिसका वर्तमान ख.नं. 312/308 रकबा 0.8853 हेक्टर है। जिस कारण लिपिकीय त्रुटि से ख.नं. 51 के संबंध में खोला गया नामा.सं. 529 निरस्त किया जाकर शुद्धि पत्र पंजीयन अनुसार ख.नं. 52 वर्तमान ख.नं. 312/308 रकबा 0.8853 हेक्टर में से 0.0126 हेक्टर भूमि अपीलान्टस के खाते दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत ओडियाखेडी का आदेश त्रुटिपूर्ण विधि विरुद्ध प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मौके पर कय आराजी का कब्जे की जांच किये बिना नामान्तरण तस्दीक किया। अपीलान्टस द्वारा बेचान पत्र दिनांक 02.01.2015 में कय भूमि सुनेल पिडावा रोड से लगवा होना अंकित किया परन्तु ख.नं. 51 का गलत अंकन हो गया। ख.नं. 51 की भूमि रोड से लगवा नहीं होकर पीछे की ओर है।

अपीलान्टस द्वारा हल्का पटवारी को शुद्धि पत्र पंजीयन के आधार पर नामान्तरण दर्ज करवाने की कही परन्तु उन्होंने गलत नामान्तरण को निरस्त करवाये बिना शुद्धि पत्र पंजीयन के आधार पर नामान्तरण दर्ज किये जाने में असमर्थता जाहिर की।

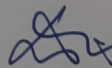
अतः अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर आदेश ग्राम पंचायत ओडियाखेडी का आदेश दिनांक 05.11.2015 नामासं 529 खारीज कर ग्राम राजपुरा की आराजी ख.नं. 52 वर्तमान ख.नं. 312/308 रकबा 0.8853 हेक्टर में से 0.0126 हेक्टर भूमि रोड से लगी हुई 23 फीट चौड़ाई की शुद्धि पत्र अनुसार अपीलान्टस के पक्ष में नामान्तरण दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जावे। अपील के साथ ग्राम राजपुरा के नामा.सं. 529 , जमाबंदी सं. 2074-77 के खाता सं. 147 , 166 की नकल , खसरा गिरदावरी नकल , नक्शा ट्रेस नकल , शुद्धि पत्र दि. 11.11.2019 , बेचान पत्र दि. 02.01.2015 की प्रति पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोंडेंट सं. 1 लगायत 34 की ओर से एडवोकेट श्री कालूराम मेघवाल द्वारा स्वीकारात्मक जवाब पेश किया।

COURT 2022

35




(सन्तोष कुमार मीना,
उपखण्ड अधिकारी
पिडावा जिला झालावाड़)

वकील उभयपक्ष बहस सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसमें यह पाया कि ग्राम राजपुरा प०म०मायाखेडी की आराजी ख.नं. 52 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा में से 1 बिस्वा भूमि रोड से लगवा 23 फीट चौड़ाई की भूमि अपीलांटस द्वारा रेस्पोडेन्टस सं. 1 लगायत 3 से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद कर मौके पर कब्जा प्राप्त किया है परन्तु उक्त विक्रय पत्र में तत्समय लिपिकीय त्रुटि वश ख.नं. 52 के बजाय रेस्पोडेन्टस के खाते का दूसरा ख.नं. 51 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा अंकित हो गया जिससे अपीलांटस द्वारा खरीद की गई भूमि ख.नं. 52 के बजाय ख.नं. 51 में नामा.सं. 529 से खातेदारी दर्ज हो गई। अपीलांटस द्वारा उक्त गलती को शुद्ध करवाने हेतु दिनांक 11.11.2019 को शुद्धि पत्र का पंजीयन करवाया। वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार ख.नं. 52 का नया नं. 312/308 रकबा 0.8853 हेक्टर है जिसमें से अपीलांटस द्वारा कय की गई एवं शुद्धि पत्र अनुसार सुनेल पिडावा रोड से लगी हुई 0.0126 हेक्टर भूमि कय की है। इस प्रकार रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 02.01.2015 में खसरा नं. लिखने की लिपिकीय त्रुटि होने से विक्रेता खातेदार की अन्य भूमि क्रेता खातेदार के नाम नामा.सं. 529 से दर्ज हो गई जो कि सही नहीं है।

अतः प्रस्तुत अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर ग्राम राजपुरा पटवार मण्डल मायाखेडी की आराजी ख.नं. 51 के संबंध में दर्ज नामा.सं. 529 दि. 05.11. 2015 को निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार पिडावा को प्रकरण रिमाण्ड कर आदेशित किया जाता है कि क्रेता खातेदार द्वारा मुताबिक शुद्धि पत्र कय की भूमि के संबंध में समुचित जांच कर नये सिरे से नामान्तरकरण दर्ज करना सुनिश्चित करें एवं विक्रेता खातेदार की ख.नं. 51 की भूमि अपीलांटस के खाते से हटाकर पुनः रेस्पोडेन्टस खातेदार के नाम दर्ज करें।

निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो।



(सन्तोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड़ (राज.)
पिडावा जिला झालावाड़